

E-mail
25.01.17

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-6/निदे०-टी०एस०पी०-24-06/2015-32

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 25.01.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा वनवन्धु कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि यथा (i) कौशल विकास योजना के तहत होटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, पारामेडिक्स, नर्सिंग, कम्पाउण्डर के लिए 200.00 लाख (ii) आवासीय पिछवाड़े में मछली पालन (मलेरिया उन्मूलन एवं पिछवाड़े में समेकित मछली पालन) हेतु ₹130.00 लाख (iii) संपूर्ण विद्युतीकरण हेतु ₹60.00 लाख (iv) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गांवों के लिए सिंचाई सुविधा का परिवर्धन/सिंचाई की सहायता हेतु नलकुप (सरकारी नलकुप) के लिए ₹60.00 लाख अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख) के विरुद्ध वर्ष 2016-17 में बजट उपबंध एवं अनुपूरक बजट उपबंध के तहत निहित विषय शीर्ष में उपलब्ध राशि के आलोक में ₹450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित राशि से केन्द्रीय योजनागत योजना मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष 0427-वनवन्धु कल्याण योजना विपत्र कोड-S2225027960427-विषय शीर्ष -1301 कार्यालय व्यय में ₹25.00 लाख, 2101-सामग्री एवं पूर्तिया मद में कुल ₹145.00 लाख, 2701-लघु कार्य में ₹60.00 लाख, 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ में ₹20.00 लाख कुल ₹250.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत 2003-विषय शीर्ष में ₹200.00 लाख अर्थात् कुल ₹450.00 लाख विकलनीय होगा।

3- इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

4- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगे।

5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक-17014/18(08)/2015-SG-II, दिनांक-05.02.2016 द्वारा स्वीकृत 450.00 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹450.00 लाख की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

7- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक 17014/18(08)/2015-SG-II, दिनांक-05.02.2016 तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।


8- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

9-स्वीकृति प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ० -८४/टि० पर प्राप्त है।


10-संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।



(प्रेम सिंह मीणा) 25.01.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/निदे०-टी०एस०पी०-24-06/2015- 82 पटना, दिनांक- 25.01.17
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव। 25.01.17

ज्ञापांक -6/निदे०-टी०एस०पी०-24-06/2015- 82 पटना, दिनांक- 25.01.17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/उप निदेशक(मु०)/ सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक (क०)/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी०) /8(डी०) अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव। 25.01.17

ज्ञापांक -6/निदे०-टी०एस०पी०-24-06/2015- 82 पटना, दिनांक- 25.01.17
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-17014/18(08)/2015-SG-II, दिनांक-05.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव। 25.01.17

विवरणी

(राशि रू० लाख में)

क्रमांक	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	योजनाएं	स्वीकृत राशि
1	1301-कार्यालय व्यय	25.00	युनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी	25.00
2	2101-सामग्री एवु पूर्तियां	145.00	1- बैकयार्ड फिसरीज (मलेरिया कम करने एवं मछली पालन को बढ़ावा)	130.00
			2- युनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी	15.00
3	2701-लघु कार्य	60.00	स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई सुविधाओं का परिवर्द्धन, सिंचाई सुविधा हेतु टयूबवेल(सरकारी नलकुप)	60.00
4	2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	20.00	युनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी	20.00
5	2003-प्रशिक्षण व्यय (द्वितीय अनुपूरक से उपबंध)	200.00	कौशल विकास: निम्नलिखित ट्रेडों में कौशल विकास-होटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, पारामेडिक्स, नर्सिंग, कम्पाउण्डर	200.00
	कुल	450.00		450.00

(कुल चार करोड़ पचास लाख रू०)

पत्रांक-

52

दिनांक- 25.01.17

Arjun
सरकार के सचिव